उद्यानिकी विभाग छिन्दवाड़ा

1. **उद्यानिकी फसलो के विकास की सम्भावना–**

   वर्तमान में छिन्दवाडा जिले में उद्यनिकी फसलों द्वारा आच्छादित क्षेत्र 10 वी पंचवर्षीय योजना में 39690 हे. था जो 11 वी पंचवर्षीय योजना के वर्ष 2007–08 में 41560 हेक्टेयर, वर्ष 2008–09 में 43690 हेक्टेयर क्रमशः बढता गया । रकबे की वृद्धि करने में उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का विशेष योगदान रहा है ।

2. **विकास की संभावनायें–**

   विगत वर्षो में उद्यानिकी विकास के अनेक प्रयास किये जाते रहे है । विज्ञान एवं तकनीकी के आधार पर देश का क्षेत्र एवं उत्पादन बढाने के उपाय बढाये गये और इसमें आशातीत सफलतायें भी मिली है । संतुलित आहार में अनाज के साथ–साथ फल एवं सब्जियां आवश्यक है किन्तु विगत वर्षो में कृषि उत्पादन कार्यक्रम खाद्यान्न फसलों तक ही सीमित रहा है संतुलित आहार की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया इसलिए दैनिक आहार को संतुलित आहार बनाने के लिए फल एवं सब्जियों की फसलों का रकबा बढाये जाने की अपार संभावनाऐं है।

उद्यानिकी विभाग के द्वारा जिले में संचालित राज्य पोषित योजनायें –

1. **फल पौध रोपण अनुदान–**

   योजना के माध्यम से फल पौध रोपण करने वाले कृषकों को नाबार्ड नार्मस के निर्धारित मापदण्ड अनुसार लागत का 25 प्रतिशत अनुदान सभी वर्गो के कृषकों को आम, आंवला, अमरूद एवं नीबू वर्गीय फलेद्यान लगाने हेतु दिये जाने का प्रावधान है।

2. **बडे शहरों के आसपास सागभाजी उत्पादन की योजना–**

   सामान्य कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान पर तथा अनुसूचित जाति/ जनजाति के कृषकों को 75 प्रतिशत अनुदान पर संकर/उन्नत किस्म के सागभाजी बीज उपलब्ध कराकर सागभाजी उत्पादन का क्षेत्र बढाना है ।

3. **मसाला विकास कार्यक्रम–**

   इस योजना का उद्देश्य मसाले वाली फसलों के उत्पादन हेतु आदिवासी कृषकों को प्रेरित किया जाना है। इस योजना में प्रति प्रदर्शन रू.100/– की दर से हितग्राही को अनुदान दिया जाता है ।

4. **पुष्प विकास योजना–**

   इस योजना के माध्यम से कृषकों को अच्छे किस्म के फूलों के पौधे उपलब्ध कराकर कृषकों को अच्छे किस्म के फूलों की खेती कराने हेतु प्रेरित कराकर कृषकों का जीवन स्तर उंचा उठाना है। इस योजना में लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 3000/– रू. प्रति प्रदर्शन अनुदान स्वरूप उन्नत/ संकर किस्मों के पुष्प बीज उपलब्ध कराना है।

5. **मेला प्रदर्शनी एवं प्रचार–प्रसार–**

   इस योजना के माध्यम से प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर मेला प्रदर्शनी का आयोजन कर कृषकों को आधुनिक तकनीकी उपलब्ध कराकर तदानुसार उन्नत प्रकार से उद्यानों तथा सागभाजी बीज की खेती कराने हेतु प्रेरित कराना है ।

6. **घरेलू बागवानी की योजना–**

   इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को बाडी योजना में रू. 50/– के साधारण बीज प्रदान कर गरीबी रेखा के नीचे जीवन वाले परिवारों के यहां सागभाजी उत्पादन कराकर उन्हे पोषण आहार हेतु मदद किया जाना है ।

7. **अधिकारियो/कर्मचारियों को उद्यानिकी प्रशिक्षण–**

इस योजना का उद्देश्य अधिकारियो/कर्मचारियों को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से अवगत कराना है ताकि कृषकों के बीच आधुनिक तकनीकी का प्रचार–प्रसार किया जा सके ।

8. संकर मिर्च उत्पादन–

इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत प्रति हेक्टेयर 7000 रू. की आर्थिक सहायता बीज, उर्वरक एवं पौध संरक्षण दवा के रूप में दिये जाने का प्रावधान है।

उद्यानिकी विभाग के द्वारा जिले में संचालित केन्द्र पोषित योजनायें – राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन

- **क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम–**

1. **फल– संतरा–** संतरा की खेती करने वाले हितग्राहियों को लागत का 75 प्रतिशत या अधिकतम रू. 11250.00 प्रति हैक्टेयर अनुदान पौधे तथा शेष राशि नगद रूप में दिये जाने का प्रावधान है।
2. **मसाला– मिर्च–** मिर्च की खेती करने वाले हितग्राहियों को लागत का 75 प्रतिशत या अधिकतम रू. 11250.00 प्रति हैक्टेयर अनुदान सामग्री के रूप में दिये जाने का प्रावधान है।
3. **पुष्प–**

अ. कट फ्लावर– इसके अंतर्गत गुलाब पुष्प की खेती करने वाले हितग्राहियों को लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रू. 35000.00 प्रति हैक्टेयर अनुदान सामग्री के रूप में दिये जाने का प्रावधान है।

ब. बल्ब फ्लावर– इसके अंतर्गत कंदो वाले पुष्प की खेती करने वाले हितग्राहियों को लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रू. 45000.00 प्रति हैक्टेयर अनुदान सामग्री के रूप में दिये जाने का प्रावधान है।

स. लूट फ्लावर– इसके अंतर्गत गेंदा, सेवंती, ऐस्टर एवं क्रायसेंथीमम, गेलार्डिया पुष्प की खेती करने वाले हितग्राहियों को लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रू. 12000.00 प्रति हैक्टेयर अनुदान सामग्री के रूप में दिये जाने का प्रावधान है।

- **पुराने बगीचों का जीर्णोद्धार–** संतरा के ऐसे बगीचे जो 12 वर्ष से अधिक के हो तथा जिनके उत्पादन क्षमता कम हो गई हो उनके सुधार हेतु लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रू. 15000.00 प्रति हैक्टेयर अनुदान सामग्री के रूप में दिये जाने का प्रावधान है।
- **वर्मी कम्पोस्ट युनिट–** निर्धारित मापदण्ड के अनुसार वर्मी कम्पोस्ट यूनिट तैयार करने पर लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रू. 15000.00 प्रति यूनिट अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।
- **कृषक प्रशिक्षण एवं भ्रमण–**

अ. राज्य के भीतर– उद्यानिकी फसलों की खेती करने वाले कृषकों को तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त हो इसके लिये राज्य के भीतर प्रक्षेत्रों का भ्रमण कराया जाता है जिसमें प्रति हितग्राही 7 दिवसीय भ्रमण हेतु रू. 1500.00 व्यय करने का प्रावधान है।

ब. राज्य के बाहर– उद्यानिकी फसलों की खेती करनेवाले कृषकों को तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त हो इसके लिये राज्य के भीतर प्रक्षेत्रों का भ्रमण कराया जाता है जिसमें प्रति हितग्राही 7 दिवसीय भ्रमण हेतु रू. 2500.00 व्यय करने का प्रावधान है।

- **सामुदायिक जलस्त्रोत का निर्माण–** उद्यानिकी फसलों की खेती हेतु शासकीय भूमि पर या कृषक द्वारा दान की हुई भूमि पर रू. 10.00 लाख तक की सीमा में तालाब निर्माण करने का प्रावधान है।
- **माडल नर्सरी–** निजी/शासकीय रोपणियों में 4 हैक्टेयर क्षेत्र में फल पौध उत्पादन करने हेतु माडल नर्सरी के निर्माण के लिये निजी क्षेत्र में लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रू. 9.00 लाख अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। इसी प्रकार 1 हैक्टेयर क्षेत्र में फल पौध उत्पादन करने हेतु छोटी माडल नर्सरी के निर्माण के लिये निजी क्षेत्र में लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रू. 1.50 लाख अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।

- **सब्जी बीजोत्पादन–** सागभाजी बीज उत्पादन कार्यक्रम लेकर प्रमाणित बीज उत्पादन करने पर लागत का 25 प्रतिशत या अधिकतम रू. 12500.00 प्रति हैक्टेयर अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।

उद्यानिकी विभाग के द्वारा जिले में संचालित केन्द्र पोषित योजनायें – माईक्रोइरिगेशन

इस योजना अंतर्गत ड्रिप संयंत्र /स्प्रिंकलर स्थापित करने वाले सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को लागत का 70 तथा अनु.जाति एवं जन जाति वर्ग के हितग्राहियों को लागत का 80 प्रतिशत अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।

उद्यानिकी विभाग के द्वारा जिले में संचालित रोपणियों की जानकारी–

क्र.	नाम विकासखंड	नाम नर्सरी
1	छिन्दवाडा	शासकीय उद्यान रोपणी जमुनिया
2	मोहखेड	शासकीय संजय निकुंज राजेगांव
3	चौरई	शासकीय संजय निकुंज चौरई
4	अमरवाडा	शासकीय संजय निकुंज बरदिया
5	हर्रई	शासकीय संजय निकुंज तेन्दनी
6	तामिया	शासकीय संजय निकुंज देलाखारी
7	जामई	शासकीय संजय निकुंज सुकरी
8	बिछुआ	शासकीय संजय निकुंज पुन्तरा
9	सौसर	शासकीय संजय निकुंज कुड्डम
10	पांढुरना	शासकीय संजय निकुंज बडचिचोली

सहायक संचालक उद्यान
जिला छिन्दवाडा

Source : Assistant Director, Horticulture, Chhindwara
Last Update : 09/10/2009